

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(18)एमई/ग्रुप-1/2017


जयपुर, दिनांक 18/8/17

आदेश

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रस्तावानुसार चयन समिति की सिफारिश पर सहायक आचार्य को आदेश जारी होने की तिथि से 3 माह अथवा नियमित रूप से पद भरे जाने या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, तक पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियत मानदेय पर मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में नियुक्त किया जाता है:-


क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	विशिष्टता	जन्म तिथि
1.	डॉ० बाल गोपाल सिंह भाटी पुत्र श्री कुन्दन सिंह भाटी	सहायक आचार्य	प्रसूति एवं स्त्री रोग	21.09.1984

उपरोक्त नियुक्ति सहायक आचार्य के चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के अध्याधीन होगी। इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से दस दिवस में अपने पदस्थान स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी। यह नियुक्ति राजस्थान मेडिकल सर्विस (कालेजियेट ब्रांच) रूल्स, 1962 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अध्याधीन होगी।

आज्ञा से,  
  
(भगवत सिंह)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
3. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1) एवं कार्मिक (क-2) विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जोधपुर को उनके पत्रांक 11657 दिनांक 12.07.2017 के सन्दर्भ में।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(महेश व्यास)  
शासन सहायक सचिव